(1) पौध वितरण (निजी भूमि पर वृक्षा रोपण हेतु) (लाख में) 2500.00

(2) क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि) (हैक्टेयर में) 70,000.00

उत्तर प्रदेश में गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना

3079. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1000 से 1500 तक की आबादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अभी तक उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने गांवों को सड़क से जोड़ा गया है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलेवार निर्धारित लक्ष्य क्या था ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़े गए गांवों की जिलावार संख्या के बारे में सूचना नहीं रखता है ।

(ग) चूंकि ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य का विषय है, अतः केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता

3080. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर (ठाकुर) : (क) जी नहीं । तथापि, जवाहर रोजगार योजना के आबंटन की 6 प्रतिशत निधियां इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करने हेतु निर्धारित की जाती हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में स्वयंसेवी संगठनों के लिये सहायता

3081. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में स्वयंसेवी संगठन को लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद के माध्यम से कोई सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से संगठनों को यह सहायता प्रदान की गई और प्रत्येक संगठन को कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकरण की कोई समीक्षा नहीं की गई है जिसके फलस्वरूप लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पायी ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे चूकर्ता स्वयंसेवी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) जी हां, गत तीन वर्षों के दौरान लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) की मार्फत गुजरात में जिन स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गयी है, उनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

वर्ष	स्वयंसेवी संगठनों की संख्या	स्वीकृत राशि
		रुपये
1989-90	19	1,90,52,446
1990-91	20	91,23,181
1991-92	20	1,34,89,343

(ग) और (घ) कुल मिलाकर, स्वयंसेवी संगठन अपने कार्य संतोषजनक रूप से कर रहे हैं । कापार्ट के पास परियोजनाओं की निगरानी की एक प्रणाली है । पहली किश्त रिलीज करने के बाद, स्वयंसेवी एजेंसी को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है । अधिकांश मामलों में परियोजना की निगरानी के लिये एक मानीटर भेजा जाता है । यदि कार्य को संतोषजनक पाया जाता है दूसरी किश्त रिलीज की जाती है । यदि कुछ विसंगतियां पाई जाती हैं तो उन्हें स्वयंसेवी एजेंसी को सूचित किया जाता है और कार्य-निष्पादन को उपयुक्त ढंग से ठीक करने की सलाह दी जाती है । तथापि, कुछ मामलों में जहां निधियों के दुरुपयोग का मामला ध्यान में आता है, उस पर उपयुक्त रूप से कार्रवाई की जाती है, जिसमें अनुदानों को रद्द करना, जहां आवश्यक हो, दंडात्मक कारवाई करना और संगठन को भविष्य में मिलने वाली सहायता से वंचित करना शामिल है ।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार के दिनों की संख्या में वृद्धि

3082. **श्री रामसिंह राठवा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इस समय बेरोजगार व्यक्तियों को 20 या 30 दिनों के लिये रोजगार उपलब्ध कराया जाता है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों के लिये मजदूरी रोजगार में सतत वृद्धि करने, जवाहर रोजगार योजना के लिये अतिरिक्त आबंटन करने और विशिष्ट क्षेत्रों में क्षेत्रगत कार्यक्रमों के साथ इसको समेकित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किये गये जवाहर रोजगार योजना के एक तीव्र मूल्यांकन से पता चला है कि 1990-91 में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 15 दिनों का रोजगार सृजित किया गया था ।